

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :::: स्वाति(तहसीलदार)

मिसल नं. :::: 151 / 2023

सरकार बनाम् फुलसिंह, कर्मवीर पुत्रान किशनलाल जाति जाट  
निवासी सालम का बास

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 04.09.2023

### निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल फुलसिंह उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान फुलसिंह, कर्मवीर पुत्रान किशनलाल जाति जाट, निवासी-सालम का बास द्वारा रोही मौजा सालम का बास की भूमि ख. नं. 119 कुल रकबा 0.18 है 0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.02 है 0 भूमि पर ग्वार काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल कर्मवीर बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल कर्मवीर के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

गैर सायल फुलसिंह ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें अपना अतिक्रमण अस्वीकार किया तथा गैर सायल ने उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहा है तथा अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़

शु. नं. 4 के पृष्ठ सं. 2024 पर  
वर्ष 2024 में रुपये 26/- कायम किए  
लेखाकार